अभियोजन

<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म०प्र०)</u>

<u>आ0प्र0क्रमांक—663 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक—29.07.2013</u> फाईलिंग क.234503004412013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड, तहसील—बेहर, जिला—बालाघाट (म0प्र0)

/ / <u>विरूद</u> / /

1—राजकुमार पिता मदनलाल वल्के, उम्र—32 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम भीमजोरी, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—रामकुमार पिता कोमलिसंह वरकड़े, उम्र–57 वर्ष, जाति गोंड निवासी–मलाजखण्ड, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.) – – – -

– <u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-22/09/15 को घोषित)

1— आरोपी राजकुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (तीन बार) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—29.05.13 को रात्रि 12:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम अण्डीटोला (करूह) लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल राजदूत कमांक—एम.पी—22 / वाय.0310 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत कोदूराम, राधेश्याम, रमलीबाई को चोट पहुंचाकर उपहित कारित की एवं आरोपी रामकुमार के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—146 / 196 के तहत आरोप है कि उसने उक्त वाहन का स्वामी होते हुए उसे बिना बीमा के चलवाया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—29.05.2013 को रात्रि 12:30 बजे फरियादी कोदूराम अपने घर के आंगन मे परिवार सहित खाट पलंग में सो रहा था, तभी जानपुर तरफ से मोटरसाईकिल राजदूत क्रमांक—एम.पी—22/वाय. 0310 का चालक तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल को चलाते हुए लाया और उसकी खाट-पलंग को ठोस मार दिया, जिससे खाट-पलंग टूट गई और उसके दांए सीने में तथा उसके लड़के राधेश्याम के दाहिने तरफ सिर में और उसकी पत्नी रमलीबाई के दाहिने बक्खें में चोट आई थी। उसके चिल्लाने पर राजदूत चालक आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गया था। उक्त घटना को मौके पर उपस्थित साक्षी सुरेश यादव, अशोक, रामचरण तिल्लासी ने देखे है। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी कोदूराम द्वारा पुलिस थाना मलाजखण्ड में आरोपी राजकुमार के विरुद्ध दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी राजकुमार के विरूद्ध अपराध कमांक-74 / 13 धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-184 के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लखेबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, वाहन जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान आरोपी रामकुमार द्वारा उक्त वाहन का स्वामी होते हुए उसे बिना बीमा के चलवाए जाने से मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 का ईजाफा किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी राजकुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (तीन बार) तथा आरोपी रामकुमार को मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होनें जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहतगण ने आरोपी राजकुमार से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी राजकुमार के विरुद्ध धारा—337 (तीन बार) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा—279 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 का विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण की ओर से प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

- 1. क्या आरोपी राजकुमार ने दिनांक—29.05.13 को रात्रि 12:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम अण्डीटोला (करूह) लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल राजदूत कमांक—एम.पी—22 / वाय.0310 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी रामकुमार ने उक्त वाहन का स्वामी होते हुए उसे बिना बीमा के चलवाया ?

<u> विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष</u> :--

- 5— आहत कोदूराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना लगभग एक साल पुरानी रात की करीब 11—12 बजे उसके घर के आंगन की है। घटना के समय वह एक खाट में तथा उसकी पत्नी रमलीबाई और उसका लड़का एक दूसरी खाट में सो रहे थे, तभी जानपुर तरफ से एक मोटरसाइकिल के चालक ने उसके घर के सामने जहां पर वे खाट पर सो रहे थे, मोटरसाइकिल से खाट को टक्कर मार दिया था, जिससे उसकी पत्नी रमलीबाई को पीठ और उसके लड़के राधेश्याम को सिर पर चोट आई थी। चिल्लाने पर मोटरसाइकिल साईकिल चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे कोई चोट नहीं आई थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि रात होने के कारण दुर्घटना कारित करने वाले को वह नहीं देख पाया था। इस प्रकार साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान अपनी साक्ष्य में नहीं की है।

- 7— आहत रमलीबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती। घटना के समय रात में वह गर्मी होने से अपने घर के सामने उसके लड़के राधेश्याम के साथ खाट में सोई थी और उसका पित कोदूराम दूसरी खाट में सोया था, तभी एक मोटरसाइकिल चालक ने उसकी खाट को टक्कर मार दी, जिससे वह तथा उसका लड़का राधेश्याम खाट से गिर गया, जिस कारण उन्हें चोट आई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना गांव वालों के अनुसार आरोपी ने नहीं की थी, बल्कि संजय यादव के द्वारा की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आरोपी राजकुमार को घटनास्थल पर नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान अपनी साक्ष्य में नहीं की है।
- अनुसंधानकर्ता अधिकारी धरमचंद (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—29.05.2013 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कोदूराम की मौखिक रिपोर्ट पर सहायक कुमार उपाध्याय उपनिरीक्षक राजेन्द्र के द्वारा प्रथम सूचना कमांक-74 / 13, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मोटरयान अधिनियम मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-22 / वाय.0310 के चालक के विरुद्ध लेख की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक—29.05.2013 को प्रार्थी कोदूराम की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी कोदूराम, साक्षी रमलीबाई, अशोक, रामचरण, सुरेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।
- 9— उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त दिनांक को ही प्रार्थी का पलंग टूटने के बाबत् उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा जिसमें लगभग 1500 / —रूपये नुकसानी होना बताया गया था का पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से एक मोटरसाईकिल छोड़ के भागने के कारण मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी—22 / वाय.

0310 को प्रदर्श पी—3 के माध्यम से साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.06.2013 को राजकुमार से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 के अनुसार अरोपी राजकुमार का लाईसेंस एवं जप्त शुदा मोटरसाईकिल का आर. सी. बुक जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी का टूटा हुआ पलंग प्रदर्श पी—7 के माध्यम से हिफाजतनामा में दे दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा मोटरसईकिल को विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। जप्तशुदा वाहन जिसका चालान किया गया था, घटना के समय वाहन का बीमा न होने के कारण धारा—146/196 मोटरयान अधिनियम बढाई गई थी। साथी ही भा.द.वि. की धारा—427 एवं 134 (क)/187 मोटरयान अधिनियम भी बढाई गई थी।

- 10— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। साक्षी के कथन से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि घटनास्थल से उसने दुर्घटना कारित मोटरसईकिल कमांक—एम.पी—22 / वाय. 0310 को जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया था। साक्षी ने उक्त वाहन बीमित न होना बताया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। जप्तशुदा वाहन को आरोपी रामकुमार के द्वारा सुर्पुदनामा में पंजीकृत स्वामी के रूप में प्राप्त किया गया है। आरोपी रामकुमार के द्वारा वाहन बीमित होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।
- 11— आरोपी राजकुमार की किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान नहीं की है। वाहन के चालक द्वारा उक्त वाहन को मौके पर छोड़कर भागने के कारण किसी भी साक्षी ने आरोपी को मौके पर उक्त वाहन चलाते हुए नहीं देखा है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरूप आरोपी राजकुमार को भारतीय दण्ड संहिता की

धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना के समय आरोपी रामकुमार के स्वामित्व की मोटरसईकिल कमांक—एम. पी—22/वाय. 0310 को घटनास्थल पर उसके चालक द्वारा छोड़कर मौके से भागने के पश्चात् जप्ती अधिकारी के द्वारा उक्त वाहन की जप्ती की गई थी। उक्त वाहन की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के रूप में आहत कोदूराम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में करते हुए जप्ती कार्यवाही का समर्थन भी किया है। आरोपी रामकुमार ने उक्त वाहन के बीमा संबंधी दस्तावेज पेश न करने से इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ है कि उक्त वाहन बीमा कराए बगैर चलवाया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी रामकुमार के द्वारा वाहन स्वामी होते हुए उक्त वाहन का बिना बीमा कराए चालन करवाया जाना प्रमाणित होता है। फलस्वरूप आरोपी रामकुमार को मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

13— आरोपी रामकुमार के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी रामकुमार को केवल अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से ही न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव हैं। अतएव आरोपी रामकुमार को मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 के अंतर्गत 1,000/—(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी रामकुमार को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावें।

14— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी—22 / वाय. 0310 मय दस्तावेज सहित रजिस्टर्ड स्वामी रामकुमार पिता कोमलिसंह वरकड़े, उम्र—57 वर्ष, जाति गोंड, सािकन—मलाजखण्ड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट